न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–161/2021 दायर दिनांकः 28.09.2021

GCMS NO:- 2021/298

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. महावीर पुत्र कजोड जाति धाकड निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
2. प्रसन्न पत्नी कजोड जाति धाकड निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
3. मनोजी पुत्री कजोड जाति धाकड निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
4. धन्नालाल पुत्र बख्तावरा जाति धाकड निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
5. बजरंग लाल पुत्र बख्तावरा जाति धाकड निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. मोरपाल पुत्र छीतर जाति धाकड निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
3. शाखा प्रबन्धक महोदय, आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा देई तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 16.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम जरखोदा पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 335 के खसरा संख्या 1380 रकबा 0.3883 है0, खाता संख्या 187 के खसरा संख्या 1834/1380 रकबा 0.3883 है0 तथा खाता संख्या 265 के खसरा संख्या 1838/1380 रकबा 0.3964 है0 कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का एक मात्र रास्ता जरखोदा से चलकर ग्राम फतेहगंज से कांकरिया जाने वाले राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम शुदा ख0 सं0 1376 आम रास्ते से होकर ख0 सं0 1332 की पूर्वी दिशा की मेड के सहारे होकर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चलकर प्रार्थीगण की भूमि में पहुंचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से बिन्दू ए से बिन्दू बी तक दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगणों ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्व करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक सीधा एवं सुगम रास्ता का नहीं है। जिसके अनुसार खसरा संख्या 1380, 1834/1380, 1838/1380 तक पहुँचने के लिए खसरा संख्या 1375 की भूमि उपयोग में आवेगी। यह कि खसरा संख्या 1375 में से रकबा 54 गठ्ठा • 2

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:34:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

= 108 वर्ग गट्ठा= रकबा 0–05 बीघा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 00–05 बीघा है।

इनके प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पंचायती प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट जरखोदा में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम जरखोदा पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 335 के खसरा संख्या 1380 रकबा 0.3883 है0, खाता संख्या 187 के खसरा संख्या 1834/1380 रकबा 0.3883 है0 तथा खाता संख्या 265 के खसरा संख्या 1838/1380 रकबा 0.3964 है0 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 1375 में से रकबा 54 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 108 वर्ग गट्ठा= रकबा 0–05 बीघा भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है जिसे परिशिष्ट "क" में प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:34:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner